


XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक आर 2063-एक/05

जिला-सतना

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
8-7-14	<p>इस प्रकरण में दिनांक 29-4-09 के बाद से आवेदक की ओर से कोई उप. नहीं हो रहा है। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि आवेदक को अपना प्रकरण चलाने में कोई रुचि नहीं है।</p> <p>अतः आवेदक की रुचि के अभाव में यह प्रकरण इसी स्तर पर समाप्त किया जाता है। दाखिल रिकार्ड हो।</p> <p style="text-align: right;">(म.क.सिंह) (एम.क.सिंह) सदस्य</p>	



माननीय न्यायालय म.प्र. राजस्व मंडल ग्वालियर ४ म.प्र. ३

पुकरण क्रमांक 105 निगरानी २०६३ II / १०५-

गोपी पुत्र गोकुल चमार, निवासी-अकोना
तेहसील नागोद जिला सतना

--निगरानीकर्ता

बनाम

१. विजयसिंह पुत्र गोवन्दसिंह
२. जितेन्द्रसिंह पुत्र महेश आदरी
निवासीगण ग्राम रेऊजा खुर्द तेहसील
नागोद जिला सतना
३. तिलकराजसिंह पुत्र उमाप्रतापसिंह, निवासी
अकोना तेहसील नागोद जिला सतना

--प्रतिपार्थिगण

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म.प्र.भू-राजस्व संषिता 1959
विलू आदेश न्यायालय अपर कमिशनर रीवा संभाग रीवा

पुकरण क्रमांक 444/जपील/2002-2003 वउनवान विजयसिंह पुत्र
गोविन्द राजासंह बनाम गोपी आदि आदेश दिनांक

21.11.2005

त्रिभुवनी,

प्रार्थी वा निगरानी प्रतिपार्थिगण निम्न प्रकार प्रस्तुत है :-

संक्षेप में तथ्य :-

श्री १ यह फि, प्रार्थी - ने सक प्रार्थनापत्र, प्रतिपार्थिगण क्रमांक १, २
व ३ के विलू इस बाबत पेश किया था कि माके पर गवाहादित
जमीन का सीमांकन कराया जाकर उसका आधिकार्य प्रार्थी को
पेलाया जावे इस बाबत धारा 250 म.प्र.भू-राजस्व संषितादे
गन्तर्गत आवेदन प्रस्तुत किया था। उपरोक्त आवेदन पर से
जर्दीनस्थ न्यायालय तेहसीलदार द्वारा विधिवत् कार्यवाही की
जाकर सीमांकन कराया गया और उस आधार पर रेस्ट्रेन्ड
के तब्दील पेशकारी का जादेश प्रदान किया गया था। सीमांकन